राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक. एफ 27(201)ग्राविवि/ग्रुप– 5/जीकेएन/सरपंच/ 2015–16 जयपुर, दिनांक 12/5/16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त,
राजस्थान।

विषय :– वर्ष 2016–17 के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं में सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की सामग्री उपापन बाबत।

विभाग की विभिन्न योजनाओं के विकास/निर्माण कार्य हेतु आवश्यक श्रम एवं सामग्री का क्रय/उपापन बीएसआर दरों तक करने हेतु ग्राम पंचायतों को प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति की सीमा राशि तक आवश्यक दिशा–निर्देश/शर्तें अधिसूचना दिनांक 10.03.2016 द्वारा जारी किये हुये है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों को राशि रू. 5.00 लाख तक की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार प्रदत्त है। महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्माण/विकास कार्यो हेतु आवश्यक सामग्री का क्रय/उपापन राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 13 के तहत नियमानुसार निविदायें/टेण्डर के माध्यम से किया जा रहा है।

यह ध्यान मे आया है कि सामग्री का क्रय/उपापन राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 13 के तहत नियमानुसार की जा रही निविदायें/टेण्डर प्रकिया का कुछ स्थानों पर बहिष्कार कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उक्त सम्बंध में निर्देशित किया जाता है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसें; महात्मा गॉधी नरेगा के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक सामग्री का क्रय/उपापन राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 13 के तहत की जा रही निविदायें/टेण्डर प्रकिया में बाधा उत्पन्न करने/बहिष्कार कराने की कार्यवाही करने वाले दोषी व्यक्तियों/कार्मिकों/कार्यालय अध्यक्षों का चिन्हिकरण कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।

इसे उच्च प्राथमिकता देवें।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
5. जिला कलेक्टर समस्त, राजस्थान।
6. परियोजना निदे. एवं पदेन उपसचिव (मों.एवं मू), ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. विकास अधिकारी समस्त, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता,ग्रावि